राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.2(1)साप्र/2/2014 जयपुर, दिनांक 5 JAN 2015

–: आदेश :–

श्री अभिमन्यु कुमार, आई.ए.एस., संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता 1/2015 है तथा सेवानिवृति दिनांक 31.7.2046 है के आधार पर उनके निवास हेतु नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राजकीय आवास संख्या II/66, एवीएस, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तो के आधार पर एतदद्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगीः–

   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

8. श्री अभिमन्यु कुमार से कॉमन सुविधा राशि रूपये 300/–(अक्षरे रूपये तीन सौ रूपए मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होगें।

8 उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 / जन स्वा0अभि0वि0 / जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध ,में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
10. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
11. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्ते संख्या–7 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
13. श्री अभिमन्यु कुमार, आई.ए.एस., संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
15. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
16. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर
17. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, काप्रवि।
18. रक्षित पत्रावली।

(मंजू भटनागर)
शासन सहायक सचिव